राज्यों की मन्त्रि-परिषद
(Council of Ministers in States)

M.A. IV Sem.
Pol. Sc.

(Madhu ...)

"जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्यमन्त्री होगा।" —अनुच्छेद *163(1)*

परिचय (Introduction)—भारत में संघ की भाँति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः राज्यों की मन्त्रि-परिषद् में वह सभी विशेषताएँ पायी जाती हैं जो कि संसदीय शासन प्रणाली में मन्त्रि-परिषद् में पायी जाती हैं। राज्यों की शासन प्रणाली में एक अन्य विशेषता यह पायी जाती है कि राज्यपालों को कुछ क्षेत्रों में स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया है और वे क्षेत्र मन्त्रि-परिषद् से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं।

मन्त्रि-परिषद् की विशेषताएँ
[FEATURES OF THE COUNCIL OF MINISTERS]

मन्त्रि-परिषद् की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. मन्त्रि-परिषद् और विधानमण्डल का अभिन्न सम्बन्ध (Council of Minister and Legislature Integrated)—संसदीय शासन पद्धति में मन्त्रि-परिषद् (कार्यपालिका) और व्यवस्थापिका में अभिन्न सम्बन्ध होता है। मन्त्रि-परिषद् के सदस्य अनिवार्यतः व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मन्त्रि-परिषद् का सदस्य नियुक्त किया जाता है जो कि राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अन्दर राज्य विधान सभा का सदस्य बन जाना आवश्यक है अन्यथा उसे पद त्याग देना पड़ेगा। मन्त्रि-परिषद् के सदस्य विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं, विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के पक्ष में विचार देते हैं। मन्त्रि-परिषद् के सदस्य एक ओर विधानमण्डल में शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं साथ ही दूसरी ओर शासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

Scanned with CamScanner

2. **राजनीतिक सजातीयता** (Political Homogeneity)—राजनीतिक सजातीयता का अभिप्राय है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल (बहुमत प्राप्त दल) के होते हैं। अतः उनके विचार तथा सिद्धान्त में एकता होती है। राजनीतिक सजातीयता का सहभागी सिद्धान्त है—सहचारिता (Team-Sprit)। इसका अर्थ है कि मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य मिल-जुलकर तथा संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। भारत में चौथे आम चुनाव के बाद से संयुक्त मन्त्रिमण्डलों (Coalition Ministeries) का निर्माण किया है, किन्तु यह व्यवस्था इस पद्धति से मेल नहीं खाती।

3. **मुख्यमन्त्री का नेतृत्व** (Leadership of the Chief Minister)—मन्त्रिमण्डलीय शासन मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करता है। मुख्यमन्त्रियों ही मन्त्रियों की नियुक्ति करता है, उनके विभागों का वितरण करता है, उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, उनकी कार्यवाही का निरीक्षण करता है तथा उन्हें पद्च्युत भी करता है। मुख्यमन्त्री ही मन्त्रि-परिषद् की बैठकों में अध्यक्षता करता है, उसकी कार्यवाही का संचालन करता है।

4. **सामूहिक उत्तरदायित्व** (Collective Responsibility)—संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, "मन्त्रि-परिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" इस उपबन्ध में दो तत्त्व हैं—

(i) मन्त्रि-परिषद् विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी अर्थात् मन्त्रि-परिषद् तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक कि विधान सभा का उसमें विश्वास बना रहे। यदि विधान सभा मन्त्रि-परिषद् की अनुदान माँगों में कटौती का प्रस्ताव पास कर दे, अथवा सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा मन्त्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो मुख्यमन्त्री सहित समस्त मन्त्रि-परिषद् को त्याग-पत्र देना होगा।

(ii) समस्त मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि यदि विधानमण्डल किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो न केवल उसी मन्त्री को बल्कि समस्त मन्त्रि-परिषद् को त्यागपत्र देना होगा। किसी एक मन्त्रालय की अनुदान माँगों में कटौती करने या अस्वीकार करने का अर्थ होता है कि विधान सभा ने समस्त मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त किया है इसलिए समस्त मन्त्रि-परिषद् को त्याग-पत्र देना होता है।

5. **गोपनीयता** (Secrecy)—संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार, "किसी मन्त्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल ..... उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलायेगा।" इस शपथ के द्वारा वह इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है कि मन्त्रि-परिषद् की बैठकों में हुए विचार-विमर्श को तथा वहाँ पर लिये गये निर्णयों को अपने तक ही रखे, उन्हें कहीं प्रकट न करे। यदि कोई विचार प्रकट तथा प्रकाशित करना है तो इस विषय में पूर्ण मन्त्रि-परिषद् ही निर्णय लेती है। मन्त्रि-परिषद् में जिस समय विचार-विमर्श हो रहा होता है, उस समय प्रत्येक मन्त्री अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र होता है। परन्तु जब एक बार निर्णय हो जाता है तब वह पूर्ण मन्त्रि-परिषद् का निर्णय माना जाता है। यदि कोई मन्त्री जो मन्त्रि-परिषद् के किसी निर्णय से सहमत न हो और अपनी असहमति को

Scanned with CamScanner

सार्वजनिक रूप से ही व्यक्त करना चाहे तो ऐसा वह मन्त्रि-परिषद् से त्यागपत्र देने के बाद ही कर सकता है।

मन्त्रि-परिषद् का गठन (Formation of the Council of Ministers)

संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार, "जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्यमन्त्री होगा।"

अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, "मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमन्त्री की सलाह पर करेगा तथा मन्त्री, राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।"

मन्त्रि-परिषद् के गठन की विधि इस प्रकार है—आम चुनाव (General Election) के बाद राज्यपाल विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमन्त्री पद के लिए आमन्त्रित करता है और मुख्यमन्त्री के परामर्श से राज्यपाल अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। समस्त राज्य-मन्त्रियों के लिए विधानमण्डल का सदस्य होना आवश्यक है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्री बना दिया जाता है, जो विधानमण्डल का सदस्य नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को छह माह के अन्दर विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे मन्त्री-पद से हटना पड़ता है। मन्त्रियों को राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किये गये कानून में निर्धारित वेतन तथा भत्ते मिलते हैं। मन्त्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं—कैबिनेट मन्त्री, राज्यमन्त्री और उप-मन्त्री। मन्त्रि-परिषद् में तीनों श्रेणियों के मन्त्री होते हैं किन्तु मन्त्रिमण्डल में केवल कैबिनेट स्तर के मन्त्री होते हैं। मन्त्री राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त ही अपने पद पर रह सकते हैं। मन्त्री सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक मन्त्री को राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

राज्य मन्त्रि-परिषद् की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गयी है। यह मुख्यमन्त्री की इच्छा और परिस्थितियों पर छोड़ दी गयी है। इसलिए यह प्रत्येक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न होती है। मन्त्रियों में विभागों का बँटवारा मुख्यमन्त्री की इच्छानुसार होता है। वह उनके विभागों में फेरबदल भी कर सकता है।

मन्त्रि-परिषद् के कार्य (Functions of the Council of Ministers)

राज्य में राज्यपाल को जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उनका प्रयोग मन्त्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है। मन्त्रि-परिषद् के निम्नलिखित कार्य हैं—

1. राज्य शासन की नीति और कार्यक्रम निर्धारित करना।
2. विधायी कार्यक्रमों को निश्चित करना।
3. विधेयकों को तैयार कराकर उन्हें विधानमण्डल में प्रस्तुत करना और उन्हें पारित कराना।
4. बजट तैयार कराना तथा वित्त मन्त्री द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत कराना।
5. व्यक्तिगत मन्त्रियों का विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
6. विधानमण्डल में सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देना तथा सरकारी नीतियों को स्पष्ट करना।

Scanned with CamScanner

7. क्षमा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय लेना।
8. एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा जिला जजों आदि की नियुक्तियाँ करना।
9. राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल बैठाना।

राज्यपाल और मन्त्रि-परिषद् (Governor and Council of Minister)

राज्य का शासन यद्यपि राज्यपाल के नाम पर चलता है, तथापि वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। शासन की वास्तविक शक्ति मन्त्रि-परिषद् के पास है। निःसन्देह राज्यपाल मन्त्रि-परिषद् का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है फिर भी उसे उसका परामर्श मानना होता है क्योंकि विधानसभा में बहुमत प्राप्त मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध कार्य करने से संवैधानिक समस्या पैदा हो सकती है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमन्त्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित मन्त्रि-परिषद् के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे तथा राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्तावों सम्बन्धी जो जानकारी राज्यपाल माँगे, वह दे। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल मन्त्रि-परिषद् की सलाह के बिना ही कार्य कर सकता है; जैसे—राज्य में संवैधानिक तन्त्र के असफल होने की सूचना राष्ट्रपति को देते समय कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल मन्त्रि-परिषद् को भंग कर सकता है।

विधानमण्डल और मन्त्रि-परिषद् (Legislature and Council of Ministers)

मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्त्रि-परिषद् विधान सभा में बहुमत रहने तक ही अपने पद पर कार्य कर सकती है। विधान सभा 'काम रोको प्रस्ताव', 'निन्दा प्रस्ताव' तथा 'अविश्वास प्रस्ताव' के द्वारा विधान-परिषद् को हटा सकती है। व्यवहार में दलीय अनुशासन, दलीय बहुमत के कारण मन्त्रि-परिषद् विधान सभा पर नियन्त्रण रखती है।

Scanned with CamScanner